



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2013—फाल्गुन 4, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-261.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-1867, दिनांक 1 नवम्बर 2009 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन नियम) के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :—

स.क्र.	मंत्री का नाम	सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री,	किसान कल्याण तथा कृषि विकास, लोक सेवा प्रबंधन, पर्यटन, खेल और युवा कल्याण (लोक सेवा प्रबंधन, पर्यटन, खेल और युवा कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-262.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-261, दिनांक 23 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

Bhopal, the 23rd February 2013

No. F. A. 3-34-2008-ONE (1)-261.—In partial modification of the department's Notification No. F. A. 3-34-2008-ONE (1)-1867, dated 1st November 2009 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to the charge of the following Ministers, the Department(s) and / or the item(s) of business in the department(s) shown against their names :—

S. No.	Name of the Minister	Department(s) and / or item(s) of business in the department assigned
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Brijendra Pratap Singh, Minister of State.	Farmer Welfare and Agriculture Development, Public Service Management, Tourism, Sports and Youth Welfare (Independent Charge of Public Service Management, Tourism, Sports And Youth Welfare).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. PARASURAM, Chief Secy.